प्रेस नोट दिनांक 17.07.2026

थाना इज्जतनगर जनपद बरेली

थाना इज्जतनगर #bareillypolice द्वारा गोकशी की घटना से संबंधित 01 अभियुक्त को मौके से गोवंशीय मांस, गोकशी के उपकरण आदि तथा घटना में संलिप्त 01 अन्य अभियुक्त को पुलिस मुठभेड़ के दौरान पैर में गोली लगने से घायल अवस्था में अवैध असलहा व कारतूस सहित किया गया गिरफ्तार।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 16.07.2026 को अभियुक्त अकीलउद्दीन उर्फ गट्टू पुत्र हबीबुर्रहमान निवासी ग्राम महलऊ थाना इज्जतनगर बरेली के घर में अभियुक्त अकीलउद्दीन उर्फ गट्टू उपरोक्त की पत्नी हसीना एवं मोहम्मद खाँ पुत्र नब्बू खाँ निवासी महलऊ थाना इज्जतनगर जनपद बरेली तथा आलम उर्फ अकबर पुत्र शराफत निवासी कस्बा व थाना सहसवान जिला बदायूँ इन चारो लोगो द्वारा गाय को काटकर माँस के टुकडो को काली पन्नी मे पैक कर मौहल्ले में बिक्री करना सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस टीम द्वारा घर पर मौजूद अभियुक्त मोहम्मद खाँ उपरोक्त को मय दो प्लास्टिक की बोरी ईलेक्ट्रॉनिक काँटा मय तौलने के लिये स्टील का कटोरा, छुरी व एक पैकेट काली पन्नी व 39.966 किलो गोवंशीय माँस के साथ गिरफ्तार किया गया। पशु चिकित्सक को रिपोर्ट प्रेषित कर सैम्पल लिया गया तथा शेष गोवंशीय मांस को गड्ढा खोदकर पशु चिकित्सक की मौजूदगी में नियमानुसार दबाया गया। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना इज्जतनगर पर मु0अ0सं0 649/2026 धारा 3/5/8 गौवध निवारण अधि0 बनाम 1. मोहम्मद खां पुत्र नब्बू खाँ निवासी ग्राम महलऊ निकट मदीना मस्जिद थाना इज्जतनगर बरेली, 2. अकीलउद्दीन उर्फ गट्टू पुत्र हबीबुर्रहमान, 3. हसीना पत्नी अकीलउद्दीन उर्फ गट्टू निवासीगण ग्राम महलऊ थाना इज्जतनगर बरेली तथा 4.आलम उर्फ अकबर पुत्र शराफत निवासी कस्बा व थाना सहसवान जिला बदायूँ के विरूद्ध पंजीकृत किया गया।

सूचना एवं कार्यवाहीः-

उक्त घटना में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु थाना इज्जतनगर पर 02 टीमों का गठन कर तलाश जारी की गयी। रात्रि के समय मुखबिर द्वारा सूचना दी गई कि आज सुबह हुई गोकशी की घटना का एक अभियुक्त अकीलउद्दीन उर्फ गट्टू पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिये सुनरासी पुल के पास महलऊ जंगल में छिपा हुआ है। सूचना पर पुलिस टीम द्वारा उक्त बाग को चारों तरफ से घेर कर तलाश किया गया तो एक व्यक्ति बाग से निकल कर खेत की तरफ भागने लगा। पुलिस टीम के द्वारा उक्त व्यक्ति को रोकने का प्रयास किया गया तो उक्त व्यक्ति द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया, उक्त गोली कां0 3507 रोहताश के दाहिने बाजू को छूते हुए निकल गई, जिससे वह घायल हो गए। पुलिस पार्टी द्वारा आत्मरक्षार्थ की गई जवाबी कार्यवाही में अभियुक्त पैर में गोली लगने से घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया, जिससे नाम पता पूछा गया तो अपना नाम अकीलउद्दीन उर्फ गट्टू पुत्र हबीबुर्रहमान निवासी ग्राम महलऊ थाना इज्जतनगर बरेली उम्र करीब 40 वर्ष बताया। अभियुक्त के कब्जे से एक अवैध तमंचा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस व 01 खोखा कारतूस 315 बोर नाल में फंसा हुआ बरामद हुआ।

घायल अभियुक्त अकीलउद्दीन उर्फ गट्टू व घायल का0 3507 रोहताश को पुलिस सुरक्षा में उपचार हेतु जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। मुठभेड़ के संबंध में अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुये थाना इज्जतनगर पर मु0अ0सं0 653/2026 धारा 109 बीएनएस व 3/25/27 ए एक्ट पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध नियमानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही की गई। पुलिस टीम गठित कर फरार अभियुक्तों की तलाश जारी है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः-

1. मोहम्मद खां पुत्र नब्बू खाँ निवासी ग्राम महलऊ निकट मदीना मस्जिद थाना इज्जतनगर बरेली उम्र करीब 55 वर्ष
2. अकीलउद्दीन उर्फ गट्टू पुत्र हबीबुर्रहमान निवासी ग्राम महलऊ थाना इज्जतनगर बरेली उम्र करीब 40 वर्ष(घायल)

घटना के सम्बन्ध में पंजीकृत अभियोग का विवरणः-

मु0अ0सं0 649/2026 धारा 3/5/8 गौवध निवारण अधि0 थाना इज्जतनगर जनपद बरेली

मु0अ0सं0 653/2026 धारा 109 बीएनएस व 3/25/27 ए एक्ट थाना इज्जतनगर बरेली

बरामदगी का विवरणः-

एक अवैध तमंचा 315 बोर मय 01 जिन्दा व 01 खोखा कारतूस नाल मे फंसा 315 बोर, एक प्लास्टिक के कट्टे में 39.966 किलो गोवंशीय माँस, एक ईलैक्ट्रोनिक कांटा मय तौलने वाला स्टील का कटोरा, एक लकडी का गट्टा, दाँव, कुल्हाडी, चाकू व एक पैकेट काली पन्नी तथा गोवंशीय अवशेष चार पैर।

पूछताछ विवरणः-

अभियुक्त मोहम्मद खां पुत्र नब्बू खाँ निवासी ग्राम महलऊ निकट मदीना मस्जिद थाना इज्जतनगर बरेली उम्र करीब 55 वर्ष ने पूछताछ में बताया कि यह मकान मेरे बहनोई अकीलउद्दीन उर्फ गट्टू पुत्र हबीबुर्रहमान निवासी ग्राम महलऊ थाना इज्जतनगर बरेली का है। मेरे बहनोई अकीलुद्दीन उर्फ गट्टू, मेरी बहन हसीना तथा आलम उर्फ अकबर पुत्र शराफत निवासी कस्बा व थाना सहसवान जिला बदाँयू, हम चारों ने मिलकर इसी घर में गोवंश को काटा था, यह उसी का माँस है। उसके अवशेष मेरे बहनोई अकीलउद्दीन उर्फ गट्टू पुत्र हबीबुर्रहमान निवासी ग्राम महलऊ थाना इज्जतनगर बरेली व आलम उर्फ अकबर पुत्र शराफत निवासी कस्बा व थाना सहसवान जिला बदायूँ जंगल में फेंकने गये थे तथा मेरी बहन हसीना पत्नी अकीलउद्दीन उर्फ गट्टू जो सुबह सुबह घरो में गौमांस को बेचने गयी थी और मैं गो माँस बेचने के लिए कांटा पर तौल कर पन्नी में पैक कर रहा था कि आपने पकड़ लिया।

अभियुक्त अकीलउद्दीन उर्फ गट्टू पुत्र हबीबुर्रहमान निवासी ग्राम महलऊ थाना इज्जतनगर बरेली उम्र करीब 40 वर्ष ने पूछताछ पर बताया कि मेरे द्वारा अपने अपनी पत्नी हसीना व साथी मोहम्मद खां पुत्र नब्बू खाँ निवासी ग्राम महलऊ निकट मदीना मस्जिद थाना इज्जतनगर बरेली तथा आलम उर्फ अकबर पुत्र शराफत निवासी कस्बा व थाना सहसवान जिला बदाँयू के साथ मिलकर अपने ही घर में गोवंश को काटा था। मेरे द्वारा यहाँ सफेदा के बाग मे एक प्लास्टिक के कट्टे में चार पैर छिपा दिये थे, तथा शेष अवशेष मेरे साथी आलम उर्फ अकबर पुत्र शराफत निवासी कस्बा व थाना सहसवान जिला बदायूं ले गया, मुझे नहीं पता कि कहां लेकर गया था, जिसके द्वारा पुलिस की मदद से चलकर बाग में पेडों के बीच में पडे एक प्लास्टिक के कट्टे की तरफ इशारा करके बताया कि यही वह कट्टा है, जिसमें गाय के चारों पैर हैं, बरामद हुआ।

पुलिस टीम का विवरणः-

1. प्रभारी निरीक्षक सुरेश चन्द्र गौतम थाना इज्जतनगर जनपद बरेली
2. उ0नि0 सुनील कुमार थाना इज्जतनगर जनपद बरेली
3. उ0नि0 अमरजीत सिंह थाना इज्जतनगर जनपद बरेली
4. उ0नि0 चेतन कुमार कुमार थाना इज्जतनगर जनपद बरेली
5. उ0नि0 इसरार अली थाना इज्जतनगर जनपद बरेली
6. हे0कां0 बलराम सिहं थाना इज्जतनगर जनपद बरेली
7. कां0 3507 रोहताश कुमार थाना इज्जतनगर जनपद बरेली
8. कां0 मनीष कुमार थाना इज्जतनगर जनपद बरेली
9. कां0 सौरभ कुमार थाना इज्जतनगर जनपद बरेली
10. कां0 आलोक कुमार थाना इज्जतनगर जनपद बरेली
11. कां0 तुषार कुमार थाना इज्जतनगर जनपद बरेली